राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण

चर्चा में क्यों?

20 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी ने राजभवन के गांधी सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत में सर्वाधिक वादों के निस्तारण में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनपद न्यायाधीशगण एवं सचिवगण, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि 10 जुलाई, 2021 को **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण** द्वारा आयोजित **लोक अदालत** में सर्वाधिक वादों के निस्तारण में **उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान** प्राप्त हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में इन जनपद न्यायाधीशगण व सचिवगण को सम्मानित किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से राज्य में 12 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया गया, जो देश में सर्वाधिक है।
- जनपद न्यायाधीशगण (सामान्य निस्तारण) के अंतर्गत ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश गोरखपुर दुर्ग नारायण सिंह, ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थनगर प्रमोद कुमार शर्मा तथा ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश रायबरेली अब्दुल शाहिद को सम्मानित किया गया।
- जनपद न्यायाधीशगण/पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना प्रतितोष अधिकरण के तहत जनपद आगरा के राजेंद्र प्रताप सिंह, जनपद अलीगढ़ के संजय सिंह तथा जनपद बरेली के मयंक चौहान को सम्मानित किया गया।
- जनपद न्यायाधीशगण/प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर के राजकुमार बंसल, जनपद मेरठ के इरफान कमर तथा जनपद गाजियाबाद की श्रीमती अनीता राज को सम्मानित किया गया।
- सचिव, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (सी.डी.) के तहत अलीगढ़, बरेली, आगरा, गोरखपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, मेरठ, सिद्धार्थनगर तथा लखनऊ के सचिव क्रमश: महेंद्र कुमार, सत्येंद्र सिंह वर्मा, सुश्री मुक्ता त्यागी, देवेंद्र कुमार, सुमति कुमार, श्रीमती नेहा रूंगटा, श्रीमती अंजू कंबोज, चंद्रमणि तिवारी तथा डॉ. सत्यवान सिंह को सम्मानित किया गया।
- सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति के तहत अशोक कुमार श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/disposal-of-cases-in-national-lok-adalat